पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 22/2020

1. रमेशकुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी मौजाना त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. प्रतापसिंह पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी मौजाना त0 भादरा।
2. बन्शीलाल पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी मौजाना त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राममूर्ति ताखर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मौजाना के खाता सं0 28/27 के खसरा सं0 14/1 की 8.763है0 खसरा सं0 99 की 1.670है0 खसरा सं0 105 की 2.491है0 कुल 12.924है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 प्रतापसिंह नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 प्रतापसिंह की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी स0 1 रमेशकुमार प्रतिवादी सं0 1 प्रतापसिंह प्रतिवादी सं0 2 बन्शीलाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17-3-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 22/2020

1. रमेशकुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी मौजाना त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. प्रतापसिंह पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी मौजाना त0 भादरा।
2. बन्शीलाल पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी मौजाना त0 भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : वादी

वकील श्री राममूर्ति ताखर : प्रतिवादीगण

निर्णय   दिनांक : 17-03-21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मौजाना के खाता सं0 28/27 के खसरा सं0 14/1 की 8.763है0 खसरा सं0 99 की 1.670है0 खसरा सं0 105 की 2.491है0 कुल 12.924है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 प्रतापसिंह नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा लालचन्द की खातेदारी हुआ करती थी। लालचन्द के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 प्रतापसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्यों को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्रों के साथ से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में रमेशकुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी मौजाना के ब्यान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी मौजाना खता सं0 28/27 प्रदर्श 1 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:58 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वादी विद्वान वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

Scanned with CamScanner

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजाना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही मौजाना खता सं0 28/27 प्रदर्श 1 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये। जिसमें जमाबंदी प्रदर्श 1 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 2 में वारिस प्रमाण के अनुसार प्रतापसिंह के दो पुत्र रमेशकुमार, बन्शीलाल इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 कां जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मौजाना के खाता सं0 28/27 के खसरा सं0 14/1 की 8.763है0 खसरा सं0 99 की 1.670है0 खसरा सं0 105 की 2.491है0 कुल 12.924है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 प्रतापसिंह नाम .राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 प्रतापसिंह की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी स0 1 रमेशकुमार प्रतिवादी सं0 1 प्रतापसिंह प्रतिवादी सं0 2 बन्शीलाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17-03-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner